



रूमाप : 0522-2286709

फैक्स : 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ

नदवेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

पत्रांक:- ७५ /२४१/NULM/तीन/2001(SUH)Voll-II

दिनांक: १३/५/ 2015

सेवा में,

1 जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण

2 नगर आयुक्त
नगर निगम

लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, हापुड़, बुलन्दशहर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, बदायूं, मैनपुरी, खुर्जा (बुलन्दशहर), चन्दौसी (सम्मल), गोण्डा, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), शामली, महोबा, नवाबगंज (बाराबंकी), प्रतापगढ़, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं झानपुर (भदोही)।

विषय : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को अनुपालन आव्याय के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं0-1514/69-1-2014-14(104)/2013 दिनांक 11.08.2014 के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत" निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत ढूड़ा कार्यालय द्वारा स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष धनराशि न तो उपलब्ध करायी गयी और न ही एम०ओ०य० की पूर्ण कार्यवाही की गयी है, जबकि आपके शहरी हेतु स्वीकृत परियोजनान्तर्गत प्रथम किश्त की धनराशि सूड़ा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है कि आपके द्वारा अभी तक धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नहीं की गयी है।

2. सी० एण्ड डी०एस० द्वारा शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरों हेतु डी०पी०आर० तैयार कर राज्य परियोजना स्वीकृत समिति से परियोजनाएं स्वीकृत करायी जा रही हैं। अद्यतन 46 शहरों की 60 परियोजनाओं पर स्वीकृत करिपय शर्तों के साथ निर्गत की जा चुकी है।

3. उक्त परियोजनाओं की स्वीकृत इस निर्देश के साथ की गयी थी कि परियोजना विशेष हेतु लगायी गयी करिपय शर्तों की अनुपालन आव्याय तत्काल राज्य शहरी आजीविका मिशन उ०प्र० को उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि अभी तक अप्राप्त है, जबकि अनुपालन आव्याय उपलब्ध कराने के निरन्तर निर्देश दिये जा रहे हैं। राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य रूप से परियोजनाओं में निर्माण कार्य की समय सारणी एवं विस्तृत कार्ययोजना तथा वारचार्ट, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन व्यवस्था (आश्रय प्रबन्धन समिति के गठन एवं उत्तरदायित्व, निर्मित होने वाले भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण, निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों आदि से अनुमोदन, परियोजना स्थल के फोटोग्राफ, भूमि आवंटन एवं 05 वर्षों उपरान्त संचालन नगरीय निकायों द्वारा स्वयं के संसाधनों से कराये जाने के परियोजना विशेष में अपेक्षित प्रमाण पत्र आदि गाइड लाइन के परिपेक्ष्य में विस्तार से सी०एम०एम०य०/नगरीय निकायों के सहयोग से तैयार कराकर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत किया जाना है। गाइड लाइन के अनुसार

डी०पी०आर० में उक्त सभी सूचनाएं वरीयता क्रम में सम्मिलित कराया जाना अपरिहार्य है। भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर एस०य०एच० डी०पी०आर० के सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी है कि उक्त डी०पी०आर० केवल टैक्सिकल इस्टिमेट है। इस प्रकार यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4 उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत प्रकरण मा० सर्वेच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं०-५५/२००३ से आच्छादित है जिसके दृष्टिगत स्वीकृति परियोजनाओं में अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता किसी भी दशा में न किया जाये। परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार समय सीमा में पूर्ण किये जाने हैं इस आशय की समय सारणी समय-समय पर मा० अधिवक्ता सर्वेच्च न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी है जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

5 अतः प्रकरण की गमीरता के दृष्टिगत स्वीकृति सभी परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने एवं एम०ओ०य० कराने की कार्यवाही तत्काल वरीयता के क्रम में करते हुए प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण की जा सके। उक्ता के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर आख्या एवं अनुपालन आख्या अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन।
2. सचिव, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ०प्र०।
4. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/परियोजना अधिकारी/सहा० परियोजना अधिकारी डूडा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, हापुड़, बुलन्दशहर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, बदायूँ, मैनपुरी, खुर्जा (बुलन्दशहर), चन्दौसी (सम्मल), गोण्डा, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), शामली, महोबा, नवाबगंज (वाराबंकी), प्रतापगढ़, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं ज्ञानपुर (भदोही) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कार्यदायी संस्था को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।
5. सहायक वेबगास्टर सूडा को इमेल से प्रेषण एवं सूडा वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक